मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों के अभिलेखो के डिजिटलीकरण नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

1. भाग-III के नियम 5 के उपनियम (4) में, शब्द "जिला न्यायालय प्रबंधक" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रार जनरल द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी" स्थापित किए जाएं।

2. भाग-III के नियम 5 के उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(6) सरल पुनर्प्राप्ति के लिए डिजिटलीकृत और इलेक्ट्रानिक रूप से सुरक्षित अभिलेखो को निम्नलिखित प्रारूप में संग्रहीत किया जाएगा:

(क) दोनो पक्षकारों के नाम (प्रथम तीन पक्षकार);

(ख) प्रकरण का पंजीयन क्रमांक;

(ग) वर्गीकरण (मामले की प्रकृति);

(घ) प्रकरण का प्रस्तुति क्रमांक;

(ङ) प्रकरण के संस्थित होने का दिनांक;

(च) प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक, यदि कोई हो;

(छ) निर्णय/अंतिम आदेश का दिनांक;

(ज) पीठासीन न्यायाधीश का नाम;

(झ) अपील क्रमांक (सिविल/क्रिमिनल) एवं उसके सुसंगत आंकड़े –

(एक) प्रथम अपील;

(दो) द्वितीय अपील;

(तीन) दाण्डिक अपील"

रजिस्ट्रार जनरल
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

The High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the District Courts of Madhya Pradesh Digitization of Records Rules, 2016, namely;-

AMENDMENT

1. In sub-rule (4) of rule 5 of chapter-III, the words "The District Court Manager" shall be substituted by the following:

   "The officer nominated by Registrar General or under his authority by the District Judge"

2. For sub-rule (6) of rule 5 of chapter-III, the following sub-rule shall be substituted, namely

   "(6) The digitized and electronically secured records shall be archived in following format to facilitate easy retrieval:

   (a) Name of both the parties (First three parties);
   (b) Registration Number of the case;
   (c) Classification (Nature of the case);
   (d) Filing Number of the case;
   (e) Date of Institution of the case;
   (f) FIR Number, if any;
   (g) Date of Judgment /Final Order;
   (h) Name of the Presiding Judge;
   (i) Appeal Number (Civil/Criminal) and its relevant data-
   (I) First Appeal;
   (II) Second Appeal;
   (III) Criminal Appeal.".

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.